प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 15.07.2025

डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी से बचाव हेतु जनपद में विशेष साइबर जागरूकता अभियान के संबंध में।

जनपद में *डिजिटल अरेस्ट* एवं *साइबर ठगी* जैसी घटनाओं की रोकथाम तथा आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु **विशेष साइबर जागरूकता अभियान** संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल माध्यमों से हो रहे अपराधों जैसे फर्जी कॉल, लिंक शेयरिंग, ओटीपी/पिन ठगी, डिजिटल अरेस्ट आदि से बचाव हेतु सतर्क एवं सजग बनाना है।

उपरोक्त अभियान के क्रम में जनपद बिजनौर के समस्त थानों द्वारा थाना क्षेत्रों में स्कूल/कॉलेजों, नगर पालिकाओं/ग्राम सभाओ व सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि पर जाकर परस्पर संवाद, पोस्टर, स्लोगन इत्यादि जैसे रचनात्मक सेशन आयोजित कर अधिक से अधिक व्यक्तियों को साइबर अपराध (डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी) के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर साइबर क्राइम हेल्प लाइन नं0 1930 व वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी जा रही है।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 15.07.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना मंडावर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 05.02.2025 को वादी ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि उसकी पोती उम्र करीब 05 वर्ष गांव में ही घर के पास खेल रही थी तो अभियुक्त ताजिम पुत्र अख्तर निवासी थाना मंडावर क्षेत्र जनपद बिजनौर ने वादी की पोती के साथ छेडछाड करते हुये गलत कार्य करने का प्रयास किया। इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 23/25 धारा 137(2)/75/65(2)/62 बीएनएस व धारा 5/6/7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.07.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 23/2025 धारा 137(2),74,65(2)/62 बीएनएस व 10 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त ताजिम उर्फ शक्तिमान पुत्र अख्तर निवासी थाना मंडावर क्षेत्र जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

ताजिम उर्फ शक्तिमान पुत्र अख्तर निवासी थाना मंडावर क्षेत्र जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 15.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 606/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.07.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 13.07.2025 को अभियुक्त शमीम पुत्र सफरूल्ला निवासी ग्राम असरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत, वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 606/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 15.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपर्हता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 15.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त शमीम पुत्र सफरूल्ला निवासी ग्राम असरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. शमीम पुत्र सफरूल्ला निवासी ग्राम असरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 संजय त्यागी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 1860 सुनील थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.महिला आरक्षी 911 राखी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 15-07-2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 78/2025 धारा 3(5)/109(1)/352 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.02.2025 को वादी श्री जुबैर अहमद पुत्र मौ0 असलम निवासी फीना कालोनी सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शादाब 2.सुहैल पुत्रगण मौ0 असलम निवासी मौ0 फीना कालोनी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3.साहिल पुत्र जावेद निवासी शास्त्री पार्क,(दिल्ली) द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए अभियुक्त शादाब द्वारा वादी के ऊपर तमंचे से फायर कर उसे घायल कर दिया।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0स0 78/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 15.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शादाब पुत्र असलम निवासी फीना कालोनी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01-01 जिंदा व खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है तथा आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

शादाब पुत्र असलम निवासी फीना कालोनी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01-01 जिंदा व खोखा कारतुस 315 बोर

पुलिस टीम का विवरण :-

1.उ0नि0 उ0नि0 हिमांशु पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 1882 कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.का0 409 मनोज कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 15-07-2025**

थाना नहटौर पुलिस ने धार्मिक स्थल (मन्दिर) में आपत्तिजनक कृत्य करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म (एक्स) पर थाना नहटौर क्षेत्र की एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमे एक युवक द्वारा धार्मिक स्थल (मन्दिर) में आपत्तिजनक कृत्य किया जा रहा है। वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गई तो उक्त वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान आशे पुत्र ठेका सिंह निवासी ग्राम मानकपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर के रूप में हुई। इस संबंध मे थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 189/25 धारा 298 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 15.07.2025 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आशे पुत्र ठेका सिंह निवासी ग्राम मानकपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

आशे पुत्र ठेका सिंह निवासी ग्राम मानकपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण :-

1.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.का0 2440 सुधीर कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर